अपील सूचना अधिकार संख्या 57/2020 (GCMS 2020/00101) डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र फमेह सिंह भाटी निवासी माँ बाला सती लॉ ऐसोसियेट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड़ विद्यालय रोड, मुख्य बाजार, सरदारशहर जिला चुरू (राज.) – 331403 बनाम प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2019 से सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

1. वर्तमान में सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों एव निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों के द्वारा दिसम्बर 2018 से लेकर आज दिनांक 23.11.2019 तक कुल कितने पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु विज्ञापन जारी किये गये तथा पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा ... के तहत आपसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे गये, उनकी प्रमाणित प्रतियां (दो प्रतियों में) तथा इनमें से कुल कितने पेट्रोल पम्पों की स्थापना के लिए आपके कार्यालय के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

2. कुल कितने अनापति प्रमाण पत्र निरस्त किये व उन आवेदनों को निरस्त करने का आधार तथा आपके द्वारा नवीन पेट्रोल की स्थापना पूर्व पेट्रोलियम अधिनियम 2002 की धारा 144 के तहत अनापति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किन–किन नियमों व आदेशों की परिपालना की जाती है, का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।
3. उक्त पैट्रोल पम्पों की स्थापना हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आपके कार्यालय के द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 2008 की धारा 130 के तहत सुरक्षा प्रमाण पत्र तथा अग्निशमन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र किन नियमों के तहत नही लिया जाता है, उन नियमों की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।
4. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा याचिका सं. OA86/2019 व याचिका सं. OA984/2018 में प्रदत आदेशों की अनुपालना में व माननी उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जनहित याचिका 11523/2019 में प्रदत किये गये आदेशों की अनुपालना की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रतियों में)।
5. फायर की अनापति की छूट इन प्रस्तावित रिटेल आउटलेटों को प्रदान की, उन नियमों की प्रमाणित प्रतियां मय संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रतियों में)।
6. राजस्थान प्रदूषण नियन्[illegible] से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र की प्रमाणि[illegible]
7. आपके [illegible] आउटलेटों का विवरण जो आवासीय क्षेत्र में 100 फुट [illegible] दूरी पर स्थापित किये गये, का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1466 दिनांक 10.11.2020, 290/16.03.2021 एवं 253/07.03.222 से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी मय सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था परन्तु प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उक्त अपील का कोई जवाब पेश नहीं किया है परन्तु अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के साथ अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्र की प्रति संलग्न की है जिसके अनुसार अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक एफ17(1)()न्याय/2019/1475 दिनांक 27.12.2019 से निम्नानुसार जवाब दिया है :

> आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 7 कि अनुसार सूचना की दो –दो प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया है। आवेदन पत्र में आपसे चाही गई सूचना से सम्बन्धित पत्रावली का नम्बर/संख्या, अनवान व पूर्ण विवरण अंकित नही किया है। जिसके अभाव में आपको सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती।
>
> अतः आपको लिखा जाता है कि आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर, कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर चाही गई सूचना से सबंबधित पत्रावली नम्बर/संख्या मय पूर्ण विवरण इस कार्यालय को अवगत करावे ताकि तदनुसार आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।
>
> अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
> श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त जवाब के पश्चात अपीलार्थी राजेन्द्र सिंह भाटी ने अपने पत्र दिनांक 14.01.2020 से अति. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट को पुनः पत्र लिखा है, जिसके अंतिम दो पैरों में निम्नानुसार अंकित किया गया है :

> कृपया बिना किसी विलम्ब के वांछित सूचनायें उपलब्ध करवाने का श्रम करावें, क्योंकि मुझे उक्त सभी सूचनायें मेरे द्वारा दायर जनहित याचिक क्रमांक CW 18464/2019 में पारित निर्णय दिनांक 07.01.2020 को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है व इस जनहित याचिका की सुनवाई दिनांक 10.02.2020 को नियत है।
>
> कृपया व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए वांछित सूचनायें अविलम्ब उपलब्ध करवायें व मेरे द्वारा प्रथम अपील अपीलीय अधिकारी को धारा 19(1) के तहत अपील अलग से प्रस्तुत की जा रही है। इसलिए इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

चूंकि **प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा** एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1466 दिनांक 10.11.2020, 290/16.03.2021 एवं 253/07.03.222 से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी मय सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था किन्तु उनके द्वारा इस न्यायालय की अपील का कोई जवाब पेश नहीं किया है इसलि[illegible]खा एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), कलक्ट्रेट, [illegible] की अपील रिमाण्ड की जाती है और निर्देशित किया [illegible] पारित होने के 10 दिवस के भीतर–भीतर प्रार्थी की अपील पर पुनः [illegible]य पारित कर प्रार्थी को सूचित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति मय अपीलार्थी के पत्र दिनांक 14.01.2020 की प्रति प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं निर्णय की प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:06 IST
Reason: SelfAttested